राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 321/2015/जयपुर.

अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड,
405, क्रासिंग बी–2, टोंक रोड़ जयपुर .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग,
वृत–एन, जयपुर .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.एल.पाटौदी,
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी.पी.ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांकः 05.06.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत यह अपील अपीलीय प्राधिकारी–II, वाणिज्यिक कर, जयपुर के आदेश दिनांक 17.11.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। विद्वान अपीलीय प्राधिकारी–II ने अपने आदेश से व्यवहारी के वर्ष 01.04.2009 सं 30.06.2009 की अवधि के अनुदान देने हेतु किये गये आदेश की पुष्टि कर अपील अस्वीकार की थी।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राज्य की शंभूपुरा में स्थित ईकाई में विस्तार किये जाने पर राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 (जिसे आगे "योजना" कहा जायेगा) के तहत अनुदान हेतु आवेदन किये जाने पर राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा दिनांक 30.03.2009 से प्रभावी करते हुये प्रमाण पत्र जारी किया गया था। अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा 31.03.2009 से पूर्व के उत्पादित माल के स्टॉक के विक्रय पर भी ब्याज एवं मजदूरी पर अनुदान दिये जाने का क्लेम प्रस्तुत किया गया था, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया गया था। इसके अलावा दिनांक 01.04.2009 से जो क्लेम प्रस्तुत किये गये थे, उसके संबंध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिसम्मत गणना नहीं किये जाने से क्षुब्ध होकर अपील प्रस्तुत की गई थी तब अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 17.11.2014 को संयुक्त आदेश पारित कर दिनांक 01.04.2009 से अनुदान दिये जाने सम्बन्धित विधिक क्लेम पर अपील स्वीकार कर प्रकरण प्रतिप्रेषित किये गये थे परन्तु अपील संख्या 227/13–14 में दिनांक 30.03.2009 के पूर्व के उत्पादित स्टॉक पर अनुदान के क्लेम को अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया गया था क्योंकि योजना, 2003 के तहत जो प्रमाण पत्र एस.एल.एस.सी द्वारा जारी किया गया था वह दिनांक 30.03.2009 से प्रभावी था ऐसी

लगातार.....2

स्थिति में पूर्व की तिथि में उत्पादित माल पर अनुदान दिये जाने का कोई विधिक प्रावधान नहीं था। इस तरह अपीलीय आदेश दिनांक 17.11.2014 के उक्त बिन्दु पर दिये गये निर्णय के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि हालांकि उन्हें अनुदान हेतु प्रमाण पत्र दिनांक 30.03.2009 से प्रभावी मानते हुये दिया गया है परन्तु दिनांक 30.03.2009 से पूर्व विस्तारित ईकाई में उसके स्टॉक पर भी अनुदान दिया जाना चाहिये तथा दिनांक 31.03.2009 को ईकाई के क्लोजिंग स्टॉक के विक्रय पर अनुदान में कमी किया जाना अनुचित बताया।

4. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि योजना, 2003 के तहत अनुदान केवल विस्तारित ईकाई में उत्पादन की तिथि के बाद के उत्पादन पर ही अनुदान देने के प्रावधान है, जबकि अपीलार्थी प्रमाण पत्र जारी होने से पहले के उत्पादन पर जो कि स्टॉक के रुप में माल रखा हुआ था, उसके विक्रय पर भी अनुदान चाहा गया है जो देय न होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया गया है जिसकी पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा की गई है, वह विधिसम्मत होने से व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य सरकार द्वारा रिप्स योजना, 2003 के तहत ब्याज एवं मजदूरी पर अनुदान दिये जाने की अधिसूचना जारी की गई थी जिसके तहत जिला एवं राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा जांच के पश्चात प्रमाण पत्र जारी किये जाते है। अपीलार्थी व्यवहारी को योजना के प्रावधानों के तहत दिनांक 30.03.2009 को प्रमाण पत्र जारी किया गया था। ऐसी स्थिति में उसके पूर्व के उत्पादन पर अनुदान दिये जाने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है एव न ही अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई योजनान्तर्गत प्रावधान बताया गया है जिसके आधार पर पात्रता प्रमाण पत्र जारी होने के पूर्व के उत्पादन पर अनुदान प्राप्त करने की पात्रता बता सके। अतः कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी ने इस बिन्दु पर क्लेम को अपास्त करने में कोई भूल नहीं की है। फलतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

5/6/2017

(के.एल.जैन)
सदस्य

5.6.2017

(मदन लाल)
सदस्य